कार्यालयः—जिला कार्यक्रम अधिकारी, हमीरपुर।

पत्रॉक /जि0का0अधि0/आ0बा0चयन/2025—26 दिनॉक 21 नवंबर, 2025

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश सं0—1/1092245/2025/3313/58—1—2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद हमीरपुर के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रकिया के तहत विभागीय वेबसाइट http//upaganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण विकास खण्ड वार/परियोजनावार निम्नवत् हैः—

क्र0सं0	परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका के पदों की संख्या
1	मुस्करा	ग्रामीण	40
2	सरीला	ग्रामीण	42
3	कुरारा	ग्रामीण	32
4	सुमेरपुर	ग्रामीण	55
5	मौदहा	ग्रामीण	113
6	राठ	ग्रामीण	24
7	गोहाण्ड	ग्रामीण	38
8	शहर	शहरी	37
योग			381

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी,साथ ही विभागीय वेबसाइड http//upaganwadibharti.in पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश—

1. केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगें।
2. आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
3. आवेदिका के ग्रामसभा/वार्ड (शहरी) का निवासी होना अनिवार्य है। ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित न्याय पंचायत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
4. आवेदिका की आयु निर्धारित तिथि 01.07.2025 (कट ऑफ डेट) को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।
5. आयु के संबंध में हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
6. विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट http//upaganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार किये जायेगें। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नही किये जायेगें।
7. आवेदन दिनांक 22.11.2025 से 12.12.2025 के मध्य रात्रि 12 बजे तक स्वीकार किये जायेगें।
8. विज्ञप्ति प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या विशेष परिस्थितियों में घट बढ़ सकती है। उपरोक्त विज्ञप्ति पदों के अर्हता एवं आवेदन करने की प्रकिया विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट http//upaganwadibharti.in पर उपलब्ध है। साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
9. यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है, या कोई तथ्य/आकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णाक गलत या कूटरचित पाये जायेगें तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके लिये अभ्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होगीं। त्रुटि सुधार हेतु ऑफलाइन आवेदन पर विचार नही किया जायेगा, अतः अभ्यर्थी के संलग्न किये गये अभिलेख स्पष्ट पठनीय होने चाहियें।
10. आवेदन करने से पूर्व शासनादेश दिनांक 17.09.2025 का अध्ययन भलीभांति कर लें। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल कर मूल अभिलेखों से मिलान कर ले। त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। केन्द्र का नाम एवं केन्द्र कोड भरना अनिवार्य है।
11. बी0पी0एल0 श्रेणी का निर्धारण समाज कल्याण अनुभाग— 2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या—22/2015/2123/26.02.2015 दिनॉक 14.09.2015 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जायेगा। तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर निर्गत आय प्रमाण ही मान्य होगा, जिसका ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकें, आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग—9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या— 3959/1—9—11—रा0—9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगें, जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।
12. जाति व निवास प्रमाण पत्र के संबंध में सक्षम स्तर से आनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगें, जिनका ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकें।

13. आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर चयन की वरीयता क्रमानुसार निम्नवत् है:—

(I) गरीबी रेखा के नीचें उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता को क्रमानुसार वरीयता प्रदान की जायेगी।

(II) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलायें।

(III) गरीबी रेखा से नीचे के अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा तलाकशुदा/परित्यकता के अभ्यर्थी को क्रमानुसार वरीयता प्रदान की जायेगी।

(IV) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता न मिलने पर उसी ग्राम सभा /वार्ड (शहरी क्षेत्र) के गरीबी रेखा से ऊपर के अभ्यर्थी पर विचार किया जायेगा।

(V) विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल ही मान्य होगी।

(VI) तलाकशुदा/परित्यकता के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होगा।

(VII) एक ही आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के पद पर नही की जायेगी।

नोट— आवेदन चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया शासनादेश —1/1092245/2025/3313/58—1—2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार के विचलन पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थिनी का होगा।

(इन्द्रपाल सिंह)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
हमीरपुर।

पृष्ठांकन C-1199 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, हमीरपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हमीरपुर।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हमीरपुर।
5. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद—हमीरपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी हमीरपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
7. जिला सूचना अधिकारी हमीरपुर को इस आशय से कि जनपद हमीरपुर के उपरोक्त उल्लिखित आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की विज्ञप्ति न्यूनतम दर पर एक स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तर के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने के साथ भुगतान हेतु बिल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत हमीरपुर, सुमेरपुर, कुरारा, मौदहा, राठ, गोहाण्ड, एवं सरीला को नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु।
9. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त की एक प्रति अपने कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें, एवं प्रचार—प्रसार भी करायें।
10. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
हमीरपुर।